कार्यालय, चास नगर निगम
चास (बोकारो)

पत्रांक 142 | दिनांक 15-10-2015

सेवा में,

श्री तारकेश्वर सिंह एवं श्री जसवंत सिंह
पिता स्व० फुलचाँद सिंह
चीरा, चास।

विषय :– **मौजा नं० चास 30 के खाता नं० 307, 308 एवं 395 प्लॉट नं० 146, 147, 149, 150 एवं 151 रकवा 73 डीसमिल पर आवासीय/वाणिज्यक निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन संशोधन के उपरांत दिनांक 01.06.2015 गृह प्लॉन केश नं०–बी० सी० 107/2015–16**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भू–खण्ड पर गृह निर्माण की स्वीकृति मात्र **(BG+4)** दिनांक **28.09.2015** को अधोलिखित शर्त्तों के साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, **2011** की धारा–**427** के अन्तर्गत प्रदान की गई है–

01. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करनें के एक सप्ताह पूर्व कार्य प्रारम्भ करनें की सूचना विहित प्रपत्र में भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है। प्लिंथ लेबल तक कार्य हो जानें के पश्चात उसकी फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।
02. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख–रेख में करायी जाय, ताकि वे समय–समय पर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें।
03. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षो के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
04. गृह निर्माण पूर्ण रुपेंण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करना है।
05. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शे के अनुरुप करायी जाय एवं नाली को मुख्य नाली से मिलावें।
06. गृह निर्माण का निरीक्षण नगर निगम के किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रतिकुल पाए गए निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जायेगा और साथ ही दंड के भागी होंगे।
07. वाटर हारवेस्टिंग हेतु सॉकपिट का निर्माण करावें।
08. पर्यावरण सुरक्षा हेतु तीन वृक्ष लगावें।
09. इस नक्शे की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के अधीन कोई नवीनतम नियमावली/रा० भ० सं० में निहित मार्गदर्शिका का अनुपालन सख्ती से हो तथा कोई उल्लघंन न हो।
10. नक्शा की स्वीकृति भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगी, विवाद कि स्थिति में नक्शा स्वतः रद्ध समझा जाएगा।
11. भवन निर्माण प्रारम्भ करनें के पूर्व श्रम निबंधन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए न्युनतम लागत (Rs. 800/– प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करनें की जिम्मेवारी आपकी होगी।
12. G+3 से.अधिक भवन निर्माण का ले–आऊट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर निगम को अवश्य समर्पित करें।
13. LIG के लिए 25% मकान आरक्षित करनें की जिम्मेवारी आपकी होगी।

28/9/15

कार्यपालक पदाधिकारी
चास नगर निगम।

अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।

28/9/15